कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक सी–96/कृषि निवेश/बी–250 दिनांक लखनऊ मार्च, 30–2017

1. समस्त सहायक आयुक्त एंव सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ०प्र० ।
2. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
   जिला सहकारी बैंक लि०।
3. समस्त जिला प्रबन्धक
   पी.सी.एफ. उ0प्र0।

विषय– क्रेडिट पर कृभको यूरिया उर्वरकों की समितियों को आपूर्ति के सम्बन्ध में ।

वरिष्ठ राज्य प्रबन्धक विपणन, कृभको लखनऊ के पत्रांक : 4327 दिनांक 28.03.2017 द्वारा क्रेडिट पर मार्च 2017 मे कृभको यूरिया क्रय करने पर दि0 30.6.2017 तक क्रेडिट पीरियड की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव के क्रम मे अधोलिखित शर्तो के अधीन कृभको यूरिया आपूर्ति की जायेगी :–

1. दिनांक 31.03.2017 तक निर्गत रिलीज आर्डर के सापेक्ष ही उपर्युक्त क्रेडिट सुविधा अनुमन्य होगी।
2. क्रेडिट पर क्रय करने वाली समितियों को दि0 30.06.2017 तक का क्रेडिट पीरिएड अनुमन्य होगा। समितियों द्वारा पोस्ट डेटेड गुडफार पेमेन्ट चेक अथवा जिला सहकारी बैंक द्वारा निर्गत बैंक अथारिटी के सापेक्ष उर्वरकों की आपूर्ति की जायेगी।
3. यूरिया के मूल्य में कमी होने पर समितियों/बिक्री केन्द्रों पर इस योजनान्तर्गत आपूर्तित अवशेष संभार पर अन्तरमूल्य की धनराशि की प्रतिपूर्ति कृभको द्वारा की जायेगी।
4. डेफर्ड योजना पैक्स/उर्वरक बिक्री केन्द्रों को आपूर्तित यूरिया उर्वरक पर ही लागू होगी।
5. सेट / खराब उर्वरक को कृभको द्वारा अपने व्यय पर वापस लिया जायेगा।
6. रैक प्वाईन्ट से यूरिया का प्रेषण जनपद बफर में किया जायेगा तदोपरान्त प्रथम आगत प्रथम निर्गत (FIFO) का पालन करते हुए बफर से बिक्री केन्द्रों को उर्वरकों का प्रेषण किया जायेगा।
7. जिन जनपदों में प्रीपोजीशनिंग योजना की यूरिया बफर में अवशेष है, वहां पर प्रीपोजीशनिंग योजना की यूरिया बफर में समाप्त होने पर ही डेफर्ड योजना की उर्वरक का प्रेषण समितियों/बिक्री केन्द्रों को किया जायेगा।

(अरविन्द कुमार)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता,उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी–16/कृषि निवेश/बी– 250 दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ राज्य प्रबन्धक विपणन कृभको लखनऊ।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र०।
3. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेब साईट पर अपलोड करने एंव सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
8. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक(कृ0नि0)
सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।